भाग –III

**हरियाणा सरकार**

प्रर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 20 नवम्बर, 2019

**संख्या का०आ० 81/के०अ० 14/1981/धा० 54/2019.**– वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1983 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशान की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1983 में, नियम 23, के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"23 अपील प्राधिकरण धारा 31(2):– (1) अपील प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या तो किसी एकल व्यक्ति या तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा,–

(i) एकल व्यक्ति प्राधिकरण की दशा में, अपील प्राधिकरण में या तो सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश; या पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रशासकीय सचिव, या केन्द्र या किसी राज्य सरकार की सेवा में अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या रहा है, जो प्रधान सचिव या उसके समकक्ष पदवी का हो तथा पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने वाली संस्थाओं में प्रशासनिक अनुभव रखता हो से मिलकर बनेगा,

(ii) तीन व्यक्तियों की दशा में अपील प्रधीकरण उपरोक्त (i) मैं विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जिसे अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा, तथा सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गो में से सदस्य के रूप में नियुक्त किन्ही दो व्यक्तियों से मिलकर बनेगा,–

(क) ग्रुप–क सेवा की हैसियत के समकक्ष पर्यावरणीय प्रबन्धन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखने वाला वैज्ञानिक;

(ख) किसी विख्यात विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग से व्यावसायिक/विशेषज्ञ, जो कम से कम प्रोफेसर के रैंक का हो;

(ग) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के स्तर का सचिव/निदेशक;

(घ) सेवारत/सेवानिवृत्त इंजीनियर, जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो;

(ड.) अभियोजन विभाग, हरियाणा से सेवारत/सेवानिवृत्त अपर निर्देशक ;

(च) सेवानिवृत जिला/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(छ) वन या सिंचाई विभाग, का प्रशासकीय सचिव/सचिव ।

यदि अध्यक्ष कोई गैर न्यायिक व्यक्ति है, तो उस दशा में एक सदस्य न्यायिक क्षेत्र तथा तकनीकी क्षेत्र से होगा।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष को सरकार द्वारा प्रति मास एक लाख रूपये तथा सदस्य को प्रति मास पचास हजार रूपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा और सरकार ऐसी दर पर यात्रा भत्तों का भी भुगतान करेगी जो सरकार के ग्रेड–I अधिकारी को यथा अनुज्ञेय है।

(3) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी ।

(4) अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा / या सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेगा / करेंगे ।

(5) अपील प्राधिकरण का मुख्यालय, सरकार द्वारा यथा विनिश्चित या तो पंचकूला या चण्ड़ीगढ़ में होगा। सरकार अपील प्राधिकरण के बैठने, आयोजन, कार्य तथा अन्य सचिवीय सेवाओं का प्रबन्ध भी करेगी। "।

धीरा खण्डेलवाल,<br>
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,<br>
प्रर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**

ENVIORNMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

**Notification**

The 20th November, 2019

**No. S.O. 81/C.A. 14/1981/S. 54/2019.—** In exercise of the powers conferred by section 54 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981), the Governor of Haryana after consulting the Haryana State Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983, namely:-

**1.** (1) These rules may be called the Haryana Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Haryana Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983 (hereinafter called the said rules), for rule 23, the following rule shall be substituted, namely:-

"23. (1) The Appellate Authority shall consist of either a single person or three persons appointed by the State Government,-

(i) in case of single person authority, the Appellate Authority shall consist of either, retired District and Session Judge or Administrative Secretary of Environment and Climate Change Department or a member of All India Services who is or has been in the service of Central or any State Government of the rank and equivalence Principal Secretary and has experience in administering institutions dealing with matters related to the environment; or

(ii) in case of three persons the Appellate Authority shall consist of, one of the persons, indicated at (i) above, who shall be designated as President of Appellate Authority; and any two persons from the following category shall be appointed by the Government as Members,-

(a) Scientist having experience of fifteen years in the field of Environmental Management equivalent to the status of group A services;

(b) Professional/Expert at least in the rank of Professor, from the Department of Environment of a reputed university;

(c) Secretary/Director level of All India Services officer;

(d) Serving/Retired Engineer of not below the level of Superintending Engineer;

(e) Serving/retired Additional Director from Prosecution Department, Haryana;

(f) Retired District/Additional District and Session Judge;

(g) Administrative Secretary/Secretary of Forest or Irrigation Department.

In case, the President is a non-judicial person, in that case one member shall be from judicial side and other from the technical side.

(2) The President of the authority shall be paid with an honorarium of one lakh rupees per month and members shall be paid fifty thousand rupees per month by the Government and the Government shall pay the travelling allowances to the Appellate Authority, at such rates as are admissible to Grade I officer of the Government.

(3) The term of President or Members of the Appellate Authority shall be for a period of two years.

(4) The President and/or Members of the Appellate Authority may hold office till the age of sixty-seven years.

(5) The Head Quarter of the Appellate Authority shall be either Panchkula or Chandigarh, as decided by the Government. The Government shall also make the arrangements of the sitting/conducting/functioning of the Appellate Authority and other secretarial services.".

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment and Climate Change Department.

57491—L.R.—H.G.P., Chd.